नम्बर व ता. अह
जो इस हुक्म
मिसल में जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2021

बउनवान

मोहनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र गोपाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1. केदारलाल पुत्र गोपाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली हाल निवासी सरदार कॉलोनी, तहसील अन्ता जिला बारां (राज.)
2. छदाम बाई पुत्री गोपाल पत्नि रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासी डाबर बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा
3. बादामबाई पुत्र गोपाल पत्नि रामनारायण जाति कुम्हार निवासी खण्डगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
4. जानकीबाई पुत्री गोपाल पत्नि रामकल्याण जाति कुम्हार निवासी लंका कॉलोनी बारां
5. संतोषबाई पुत्री गोपाल पत्नि रामभरोस जाति कुम्हार निवासी चन्द्राहेड़ी तहसील मांगरोल जिला बारां
6. सहजाबाई पुत्री गोपाल पत्नि गंगाराम जाति कुम्हार निवासी जयनगर तहसील अन्ता
7. मांगीलाल पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
8. बंशीलाल पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां
9. आनन्दीलाल पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली हाल निवासी नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता जिला बारां
10. आनन्दीबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि नामालूम जाति कुम्हार निवासी बून्दीबिजोरा तहसील अन्ता जिला बारां
11. नगीना उर्फ बालकिशन पुत्र धूलीलाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)

अपील विरूद्ध तहसीलदार बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2005 व तस्दीकी इन्तकाल संख्या 249 दिनांक 08.07.2005 वाके ग्राम सांकली अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री जयेश सक्सेना एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3. श्री [illegible] गौतम एडवोकेट (रेस्पो. क्रम 7 से 10)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक [illegible] 2023

अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां मिसल सं0 2/05 में वसीयत के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई किये दिनांक 04.05.2005 को आदेश पारित कर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 08.07.2005 ग्राम सांकली को

निरस्त कर अपीलांट को विधिवत सुनवाई किये जाने हेतु पेश की। उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 17.04.2017 को न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा ''अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 04.05.2005 एवं तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 249 दिनांक 08.07.2005 ग्राम सांकली निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ अधीनलस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पो0 एवं सभी वैधानिक वारिसान को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जांच कर, कानूनी प्रावधानों के संप्रेषण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।'' इस आदेश की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा में पेश की गई जो प्रकरण संख्या 74/2017/अपील/एल0आर0एक्ट/बारां बउनवान केदारलाल बनाम मोहनलाल वगैरा दर्ज की जाकर उसमें पारित निर्णय दिनांक 07.03.2019 से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 17/2015 अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2017 अपास्त किया जाकर ''अपील प्रकरण में गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करने से पूर्व विधि अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण कर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करें'' इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित होकर न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की गयी।

प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा के निर्णय दिनांक 07.03.2019 से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्टगण एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड को तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 1 एवं रेस्पो. क्रम 7 ता 10 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित आये। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने इंतकाल क्रमांक 249 दिनांक 08.07.2005 व आदेश तहसीलदार बारां दिनांक 04.05.2005 की जानकारी अपीलांट द्वारा हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु चाहने पर दिनांक 22.06.2015 को होना व नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत होना बताया। तथा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सांकली तहसील–बारां में मूल खातेदार गोपाल, छीतरलाल, धूलीलाल पुत्रगण शंकरलाल जाति–कुम्हार निवासी मूण्डली तह0 मॉगरोल में आराजी ख0नं0 16 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 24 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 25 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 26 रकबा 0.72 है0 कुल किता 4 रकबा 4.04 है0 पैत्रिक आराजी है। इसके अलावा ख0नं0 23 रकबा 0.26 है0 भी गोपाल जी के संयुक्त खातेदारी में [illegible] 357 दिनांक 25.4.2014 को विरासत के आधार पर अपीलांट व रेस्पों0 क्रम [illegible] 6 [illegible] नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम मूण्डली तह0 मॉग[illegible] 626 रकबा 1.39 है0 भी गोपाल जी के खातेदारी की थी जो उ[illegible] अपीलांट व रेस्पों0 क्रम– 1 ता 6 के नाम दर्ज की जा चुकी है। इसी प्रकार ग्राम [illegible]ली की आराजी ख0नं0 107 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 108 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 151 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 688 रकबा 0.94 है0 किता 7 रकबा 1.64 है0 गोपाल जी संयुक्त खातेदारी की थी जिसमें भी विरासत के आधार पर अपीलांट व रेस्पों0 क्रम 1 ता 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जा चुका हे। इसी

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार ग्राम रायथल की आराजी ख0नं0 1952 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 1953 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 1954 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 1959 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1960 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 1961 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 1962 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 1963 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1969 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 1970 रकबा 0.50 है0 कुल किता 10 रकबा 6.30 है0 गोपाल जी के संयुक्त खातेदारी का थी जो विरासत के आधार पर अपीलांट व रेस्पों0 क्रम 1 ता 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जा चुका है। इस प्रकार ग्राम रायथल की आराजी ख0नं0 796 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 1955 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.94 है0 गोपालजी के संयुक्त खातेदारी का था जो विरासत के आधार पर अपीलांट व रेस्पों0 क्रम 1 ता 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित की जा चुकी है। किन्तु रेस्पों0 क्रम–1 द्वारा ग्राम सांकली की आराजी ख0नं0 16 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 24 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 25 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 26 रकबा 0.72 हे0 कुल किता 4 रकबा 4.04 है0 में गोपाल जी के स्थान पर सम्पूर्ण 1/3 हिस्से पर अकेले अपने नाम हल्का पटवारी से मिलकर नामान्तकरण संख्या 249 दिनांक 8.7.2005 तस्दीक करा लिया है। उक्त नामान्तकरण अपीलांट को बिना सुने दर्ज किया गया है जो अपीलांट के विरूद्व प्रभावशून्य होने से इन्तकाल नं0 249 को नल एण्ड वोईड घोषित कर निरस्त कराने का अधिकारी है। तहसीलदार बारां द्वारा मिसल नंबर 02/2005 में वसीयत के आधार पर बिना अपीलांट की सुनवाई किये दिनांक 04.05.2005 को आदेश पारित किया गया है जबकि मृतक गोपाल जी द्वारा दिनांक 18.03.2001 को अपने दोनो पुत्रों अपीलांट व रेस्पो. क्रम 1 के लिये भागीदारीनामा लिखा गया था जिस पर रेस्पो. क्रम 1 केदारलाल के भी हस्ताक्षर हैं जिसको छुपाकर उक्त निर्णय पारित कराया जाकर नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 08.07.2005 दर्ज कराया गया है जो निरस्त किया जाकर अपीलांट को विधिवत सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरसी 2001 पृष्ठ संख्या 250 बउनवान पीरू खान व अन्य बनाम अमीन खान व अन्य निर्णय दिनांक 26.04.2001 एवं आरआरसी 2001 पृष्ठ संख्या 595 बउनवान असलीराम व अन्य बनाम शिव नारायण व अन्य निर्णय दिनांक 05.11.2001 की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पो. क्रम 1 के पिता गोपालजी ने अपने जीवनकाल में रेस्पो. के खाते में आराजी कम होने से उसके पक्ष में ग्राम सांकली में अवस्थित आराजी की वसीयत दिनांक 02.10.2000 को लिखी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर बाद जांच विधिसम्मत आदेश पारित कर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 08.07.2005 से दर्ज की गई। उक्त वसीयत की जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में उक्त आराजी बाबत दावा भी पेश किया है जिसमें माना है कि रेस्पो0 की वसीयत दिनांक 02.10.2010 की जानकारी [illegible] से थी। तथ्यों को छिपाकर 10 वर्ष बाद मियाद बाहर अपील पेश की गई है जो [illegible] ग्राह्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं [illegible] खारिज फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रे[illegible] न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पृष्ठ 333 बउनवान अलादीन बनाम यासीन मे पारित निर्णय दिनांक 23.03.2015, आरआरटी 2018(2) पृष्ठ 879 बउनवान भेरू बनाम प्रभाती व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2018 एवं आरआरटी 2018(1) पृष्ठ 485 बउनवान सुलोचना बनाम स्टेट ऑफ राज. में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 पेश करते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने का कथन किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:46 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। गोपालजी, छीतरलाल, धूलीलाल जाति कुम्हार नि. मूण्डली के ग्राम सांकली, मूण्डली एवं रायथल में सहखातेदारी की आराजी अवस्थित है। प्रकरण में विवाद ग्राम सांकली की आराजी को लेकर है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रेस्पों0 केदारलाल के पक्ष में गोपालजी ने अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.10.2000 तहरीर की है, जिसके आधार पर रेस्पों0 क्रम–1 द्वारा ग्राम सांकली की आराजी ख0नं0 16 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 24 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 25 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 26 रकबा 0.72 है0 कुल किता 4 रकबा 4.04 है0 को रेस्पो0 क्रम 1 के खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार, बारां के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश करने पर, तहसीलदार, बारां द्वारा वैधानिक वारिसों को सुनवाई हेतु तलब कर, चार पुत्रियों के शपथपत्रों के आधार पर रेस्पों0 क्रम–1 को वसीयती उत्तराधिकारी मानकर, अपीलांट जो मृतक गोपालजी का पुत्र है, कि बिना सुनवाई किये हीं उक्त आदेश पारित किया है। अपीलांट की आपत्ति रहीं है कि उक्त आराजी पैतृक है जिसकी वसीयत तहरीर नहीं की जा सकती तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है तथा उसके पक्ष में भी गोपालजी द्वारा एक भागेदारी नामा दिनांक 18.3.2001 लिखा है, जिसका परीक्षण एवं सत्यापन नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी किता 4 रकबा 4.04 है0 ग्राम सांकली को अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर, रेस्पों0 के खाते दर्ज करने का आदेश दिये गये है। आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट की सुनवाई व साक्ष्य नहीं ली गयी है। विवादित आराजी पैतृक है। वसीयत के आधार पर सभी वैधानिक वारिसान् की सुनवाई कर, प्रमाणिकता के आधार पर ही आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के विरूद्व अपीलांट को बिना सुने उक्त आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 04.05.2005 एवं तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 249 दिनांक 08.07.2005 ग्राम सांकली निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई, जवाबदेहीं व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता की जॉच कर, कानूनी प्रावधानों के अनुसार गु[illegible] के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक [illegible].3.20[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.04.10 11:41:46 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)